न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **12/17 (विविध)**

प्रकरण दर्ज दिनांक 23.02.2017 **निर्णय दिनांक 31.10.2017**

अनवान्

1. श्री कना पिता रामा भील निवासी फलीचडा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री ताराचन्द पिता लेहरीलाल कुमावत निवासी राजसमन्द तह. राजसमन्द।
2. श्री हिरालाल पिता विजयराम लौहार निवासी धोईन्दा तह. राजसमन्द।
3. श्री रामसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत निवासी धोईन्दा तह. राजसमन्द।
4. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 31.10.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फलीचडा, पटवार हल्का फलीचडा, तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित (परिशिष्ट अ) आराजी नम्बर 644 किता 1 रकबा 4 बीघा। उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं। एवं (परिशिष्ट ब) आराजी नम्बर 1809/644 किता 1 रकबा 4 बीघा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।
2. प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी को कार्यालय सब डिविजनल ऑफिसर वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/आवंटन/178/79 दिनांक 23.05.89 को आवंटन की गई थी जिस पर मै प्रार्थी शान्तिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त कर रहा हूं।
3. प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी वक्त आवंटन केवल मात्र आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ही पैमुद की गई थी और मूल नक्शा ट्रेस में उक्त आवंटन सुदा आराजी को पैमुद की गई थी। फिर बाद में उक्त आराजी को मूल नक्शा ट्रेस में पैमुद की गई जिसमें राजस्व अधिकारियों ने आनन फानन

में बिना किसी आदेश के आवंटित रकबा 4 बीघा के बजाय नक्शा ट्रेस में 3 बीघा भूमि को पैमुद कर सीमाकंन कर दिया गया और नक्शा ट्रेस में जो भूमि मुझ प्रार्थी के अधिक पैमुद की गई वह परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि में से कम करके 3 बीघा भूमि नक्शा ट्रेस मे पैमुद कर दी गई जबकि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। जबकि वास्तव में मेरे खाते व कब्जे में 4 बीघा जमीन एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खाते व कब्जे में 4 बीघा जमीन है और इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमुद होनी चाहिए थी इसलिए मै प्रार्थी राजस्व नक्शा ट्रेस में हुए इस गलत इन्द्राज को दुरस्त कराकर परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी का सही रकबा 4 बीघा नक्शा ट्रेस में पैमुद करा सीमांकन कराने का अधिकारी हूं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

4. मुझ प्रार्थी को उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन की जानकारी दिनांक 03.11.2016 को हुई जब नक्शा ट्रेस एवं खाते की नकल प्राप्त की और जानकारी होते ही अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर एवं मुकदमें के खर्चे की व्यवस्था कर यह दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं।
5. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात राजस्व ग्राम फलीचडा तहसील मावली में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त करते हुए प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी का सही रकबा 4 बीघा नक्शा ट्रेस में पैमुद करा कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार होकर कथन है कि राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार एवं आदेश के प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे 4 बीघा जमीन के बजाय नक्शा ट्रेस में 5 बीघा पैमुद कर दी और हम विपक्षी के खातेदारी व कब्जे की 4 बीघा जमीन के बजाय नक्शा ट्रेस में 3 बीघा जमीन पैमुद कर दी जो गलत हैं। प्रार्थी उसकी 4 बीघा जमीन एव ंहम विपक्षीगण हमारी खातेदारी की 4 बीघा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और उपरोक्तानुसार ही राजस्व नक्शा ट्रेस में जमीन पैमुद कराने के अधिकारी हैं।
7. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी का सही रकबा राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमुद कराया जावें एवं परिशिष्ट ब में वर्णित हम विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी का सही रकबा राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमुद किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

8. राजपैरोकार मावली द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजीनामेनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण एवं राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजस्व लोक अदालत में आपसी राजीनामा अनुसार उभय पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्से कब्जेनुसार बैठे होने से नक्शा में पैमूद कराया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर उभय पक्षकारान के अपनी अपनी आराजी पर 4–4 बीघा भूमि पर काबिज होना बताया है, एवं नक्शे में पैमुद करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी न. 644 रकबा 4 बीघा पर प्रार्थी एवं आ.न. 1809/644 रकबा 4 बीघा भूमि पर विपक्षी सं. 1 से 3 का कब्जा होना बताया है। जिसकी पुष्टि राजपैरोकार ने अपने जवाब में की है। उभय पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा पेश कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अतः कोई आपत्ति नहीं होने से कब्जेनुसार उभय पक्षकारान की भूमि को नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : **<u>आदेश</u>** : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा की आ.न. 644 रकबा 4 बीघा एवं आ.न. 1809/644 रकबा 4 बीघा भूमि का उभय पक्षकारान के कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में पैमुद करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली